निविदा प्रपत्र क्रयकर्ता का नाम .... स. क्र. ....

कार्यालय उप नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर

जिन्सी हाट मैदान, इन्दौर, म.प्र.-452002

साफ-सफाई कार्य हेतु ई निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18-07-2017 अपरान्ह 1.00 बजे तक

अहस्तांतरणीय

मूल्य रूपये 500.00

कार्यालय, उप नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर

क्रमांक/भण्डार/साफ-सफाई/2017-18/ 917 इन्दौर, दिनांक 7-6-17

द्वितीय निविदा सूचना

मुद्रणालय परिसर, लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार के आधिपत्य की लगभग 34,730 वर्गफीट स्थान की साफ-सफाई, रद्दी कतरन एकत्रित करना, गमलों का रख-रखाव हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये निर्धारित वेतन के अन्तर्गत साफ-सफाई कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से सील बन्द लिफाफे में दिनांक 18-07-17 अपरान्ह 1.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 17-07-17 अपरान्ह 3.00 बजे तक रुपये 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर के पक्ष में तैयार कर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र शासकीय प्रेस की वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है। डाउनलोड कर राशि रूपये .500.00 का डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2. निविदा प्रपत्र भाग-1 में न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र भाग-2 में वाणिज्यिक दरें प्रस्तुत करना होगा।

3. प्राप्त निविदाओं का तकनीकी भाग-1 उपस्थित निविदाकारों के प्रतिनिधियों, समिति एवं श्रम विभाग के विशेष आमंत्रित सदस्य की उपस्थिति में दिनांक 18-07-17 अपरान्ह 2.00 बजे खोला जावेगा। न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकार फर्मों की कॉमर्शियल निविदा दिनांक 18-07-17 अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी।

उप नियंत्रक

कार्यालय, उप नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर

तकनीकी भाग-1

1. फर्म का नाम ....
2. पता ....
3. दूरभाष मोबाईल नं. ....
4. स्थापना पंजीयन क्र. एवं दिनांक ....
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्र. ....
6. कर्मचारी राज्य बीमा का पंजीयन क्र. ....
7. सर्विस टेक्स पंजीयन नम्बर ....
8. संस्था संचालक का पुलिस सत्यापन ....
9. अनुभव (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें) ....
10. आयकर प्रमाण-पत्र ....
11. ई.एम.डी. राशि रुपये 10,000 का ....
    एफ.डी.आर. क्रमांक, दिनांक, ...
    बैंक का पूरा नाम एनं पता ....

निविदाकार फर्म का मालिक/भागीदार के नाम,
हस्ताक्षर एवं फर्म की रबर सील

कार्यालय, उप नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर

वाणिज्यिक भाग-2

1. न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत मुद्रणालय परिसर, लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, रद्दी कतरन एकत्रित करना, गमलों का रख-रखाव एवं साफ-सफाई कार्य कराने की ***प्रति श्रमिक*** मासिक दर समस्त कर सहित।	.... (अंकों में)
नोट :- शब्दों में भी राशि का उल्लेख करना अनिवार्य है।	....(शब्दों में)

....

निविदाकार फर्म का मालिक/भागीदार के नाम,
हस्ताक्षर एवं फर्म की रबर सील

घोषणा-पत्र

मैं (निविदाकार फर्म का मालिक/भागीदार/संचालक/प्रबंधक) श्री ....
पुत्र श्री .... निविदाकार फर्म ....
.... घोषणा करता हूं कि मैंने उपरोक्त उल्लेखित साफ-सफाई कार्य के टेण्डर की शर्तों एवं न्यूनतम अर्हता का अध्ययन कर लिया हैं एवं अंकित शर्तो से सहमत हूं तथा टेण्डर स्वीकृत होने पर शर्तों का पालन करूंगा. यदि मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं तकनीकी भाग में दी गई जानकारी अनुसार कर्मचारी लगाकर कार्य सम्पादित करूंगा।

....

निविदाकार फर्म का मालिक/भागीदार के नाम,
हस्ताक्षर एवं फर्म की रबर सील

साफ-सफाई कार्य के लिये तकनीकी भाग की न्यूनतम अर्हता :-

1. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 5-06-17 अपरान्ह 3.00 बजे तक रुपये 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर के पक्ष में तैयार कर प्राप्त किया जा सकेगा एवं शासकीय प्रेस की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर भी उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड कर राशि रूपये 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. निविदा के साथ ई.एम.डी. के रूप में राशि रुपये 10,000 का राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का 12 माह की अवधि का एफ.डी.आर. निविदाकार फर्म एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार फर्म का चयन होने के पश्चात् उस अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध के साथ कुल वार्षिक भुगतान की 10 % राशि (ई.एम.डी. की राशि कम किया जाकर) धरोहर राशि का 12 माह की अवधि का एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत ई.पी.एफ., ई.एस.आई. में निविदाकार फर्म का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. निविदाकार फर्म का आयकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
6. ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम नौ माह में कम से कम 25 कर्मचारियों का नाम सहित उक्त मद में जमा कराई गई राशि का प्रमाणस्वरूप चालान की सत्यापित छायाप्रति एवं वर्ष 2016-17 में उक्त मद में जमा कराई कर्मचारियों की नाम सहित, संख्या एवं राशि का प्रमाण स्वरूप चालान की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. तकनीकी भाग एवं शर्तों पर सहमति स्वरूप निविदाकार फर्म के प्रतिनिधि को पदमुद्रा सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

साफ-सफाई की अन्य शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 17-7-17 अपरान्ह 1.00 बजे तक रूपये 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर के पक्ष में तैयार कर प्राप्त किया जा सकेगा।
2. निविदा प्रपत्र भाग-1 में न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करने वाले प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र भाग-2 में वाणिज्यिक दरें प्रस्तुत करना होगा।
3. प्राप्त निविदाओं का तकनीकी भाग-1 उपस्थित निविदाकारों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 18-7-17 अपरान्ह 2.00 बजे श्रम विभाग के विशेष आमंत्रित सदस्य की उपस्थिति में खोला जावेगा। न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकारों फर्मों की कॉमर्शियल निविदा दिनांक 18-7-17 अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी।
4. मुद्रणालय परिसर, लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार के आधिपत्य की लगभग 34,730 वर्गफीट स्थान की साफ-सफाई रद्दी-कतरन एकत्रित करना, गमलों में पानी देना एवं रख-रखाव हेतु साफ-सफाई का कार्य प्रति दिवस करना होगा।

5. प्रेस एक पाली में कार्य करता है। दिन पाली प्रातः 9.30 से 5.00 तक है।

6. प्रेस की स्थापित एवं कार्यरत मशीनों से निकलने वाली रद्दी-कतरन को एकत्रित कर गोदाम में जमा करना होगा यह कार्य प्रातः 9.30 से 5.00 बजे के बीच में करना होगा।

7. आवश्यक कार्य जैसे चुनाव एवं अन्य शासकीय कार्यों के प्राप्त होने पर प्रेस अवकाश के दिनों में भी कार्यरत रहता है ऐसी स्थिति में उक्त दिवस को भी साफ-सफाई कार्य करना होगा।

8. साफ-सफाई के अन्तर्गत प्रेस एवं कार्यालय की फर्श पर पोंछा लगाना होगा एवं आवश्यकता प्रतीत होने पर उनकी पानी से धुलाई भी करना होगा।

9. सप्ताह में एक दिन अनिवार्यतः दीवालों की सफाई एवं जाले उतारने का कार्य भी करना होगा।

10. प्रेस के समस्त मूत्रालय, शौंचालय एवं ड्रेनेज लाईन की साफ-सफाई करना होगी। किसी प्रकार की टूटफूट होने पर उक्त टूटफूट की समस्त जिम्मेदारी निविदाकार फर्म की होगी।

11. सफाई में लगने वाले डिटरजेंट लिक्विट, फिनाईल गोली एवं अन्य व्यवस्था प्रेस द्वारा की जावेगी।

12. झाडू, पोंछा, खराटा चेम्बर की सफाई हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री आदि की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. उप नियंत्रक के अधिकृत प्रतिनिधि/समय सूचक द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि साफ-सफाई में कोई कमी है तो निविदाकार फर्म से जुर्माना वसूला जावेगा जो प्रति निरीक्षण रुपये 500.00 का होगा।

14. प्रेस की साफ-सफाई का अधिकांश कार्य नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी माह में 8.30 तक एवं शेष माहों में 8.00 तक अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।

15.1 प्रति दिवस 03 कर्मचारियों को उपस्थित कराकर कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि किसी दिन निर्धारित से कम कर्मचारी कार्य पर उपस्थित होते हैं तो उक्त दिवस की अनुपस्थिति का वेतन काटकर भुगतान किया जावेगा।

15.2 निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का भुगतान किये जाने के उपरांत आगामी माह में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दी गई राशि एवं उनके पक्ष में जमा की गई ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि का चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. निविदाकार फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को वर्दी का प्रदाय निविदाकार फर्म को करना होगा।

17. कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रवेश पत्र फर्म द्वारा विशेष प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे तथा गेट कीपर को दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी।

18. निविदाकार फर्म को उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के वेतनभत्तों का भुगतान आगामी माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः करना होगा इसका पूर्ण दायित्व निविदाकार फर्म का होगा।

19. निविदाकार फर्म/को प्रतिमाह के कार्य का कार्य का देयक आगामी माह की प्रथम कार्य दिवस को कर्मचारियों के नाम एवं उपस्थिति सहित प्रस्तुत करना होगा ताकि निविदाकार फर्म को समय पर भुगतान किया जा सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में शासन प्रतिबंध, बजट आवंटन एवं अन्य कार्यों से भुगतान में विलम्ब होता है तो उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा.

20. भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोत पर कर कटोत्रा किया जावेगा।

21. कार्य अवधि में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में कामगारों के क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार फर्म का होगा।

22. निविदाकार फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कार्य में सुधार करने के लिये निविदाकार फर्म को एक अवसर दिया जावेगा, यदि फिर भी कार्य संतोषजनक शर्तों के अनुरूप नहीं होगा तो अनुबंध समाप्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

23. निविदाकार फर्म निविदा में अंकित संख्या से कम कर्मचारी लगाकर कार्य करवाता है तो उसी के अनुपात में उसके देयक से कम/अनुपस्थित कर्मचारी की राशि का कटौत्रा किया जाकर ही भुगतान किया जावेगा।

24. एक वर्ष के लिये निविदा आमंत्रित की जा रही है। विशेष परिस्थितियों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम के पालन की शर्त पर इसे आगामी 06 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

25. विवाद की स्थिति में नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल को पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रेषित किया जावेगा, नियंत्रक का निर्णय दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा एवं अंतिम होगा।

तकनीकी निविदा एवं शर्तों पर
सहमति स्वरूप निविदाकार प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर एवं फर्म की मुद्रा

Deputy Controller